Bharti Infratel Limited

December 31, 2018

The BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai-400001

The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai 400051

Ref: Bharti Infratel Limited (534816/ INFRATEL)

Sub: Intimation of newspaper publications w.r.t. Advertisements of Notices of Tribunal Convened Meetings of the Equity Shareholders and Unsecured Creditors of Bharti Infratel Limited

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed the copy of advertisements w.r.t. advertisement of the Notices of Tribunal Convened Meetings of the Equity Shareholders and Unsecured Creditors of Bharti Infratel Limited for the following purpose:

- To consider, and if thought fit, approving with or without modification(s), the proposed scheme of amalgamation and arrangement ("**Scheme**") between Indus Towers Limited ("**Transferor Company**") and Bharti Infratel Limited ("**Transferee Company**") and their respective shareholders and creditors under Sections 230 to 232 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013.

The advertisement is published in Business Standard (English) and Hindustan (Hindi), both Delhi NCR edition dated December 31, 2018, as stated in the order of the Hon'ble Chandigarh Bench of the National Company Law Tribunal at Chandigarh.

Kindly take the same on record.

Thanking you,
Yours faithfully,

For Bharti Infratel Limited

BHARTI INFRATEL LIMITED HARYANA

Samridhi Rodhe
Company Secretary

vitter tions

ggers, influencers

people who will be part of the vernacular initiative.

According to Twitter, the success in 2019 Lok Sabha polls would help Twitter chart out its growth story in India. It has already tasted success in the recent Assembly elections.

Between October 1 and December 11, Twitter saw more than 6.6 million tweets in relation to #AssemblyElections2018. Throughout the elections campaign, politicians and political parties extensively used Twitter to reach out to the electorate.

Poll promises and policy announcements of political parties were some of the top-tweeted moments. Prime Minister Narendra Modi and Congress President Rahul Gandhi were the top mentioned leaders on Twitter. Rural economy emerged as the most talked-about election-related topic over the past nine weeks.

Twitter had earlier said that it would be offering all the tools it used in the 2016 US presidential elections to the social media teams of all political parties in India. Its BlueRoom initiative might feature interviews with leaders of political parties, local representatives, student union leaders, as well as political commentators.

Filmmaker Mrinal Sen dies at 95

Dadasaheb Phalke award-winning film director Mrinal Sen, the last of the triumvirate of directing icons, Satyajit Ray and Ritwik Ghatak, passed away on Sunday. He was 95.

Sen took his last breath at his residence at 10.30 am after a prolonged battle with age-related ailments, family source said.

"Sen passed away today around 10.30 am due to age-related ailments," a family member said.

At around 2:45pm Sen's mortal remains were taken from his residence at Padmapukur in Bhawanipore area to Peace World mortuary.

According to a source close the family, the last rites of the filmmaker will be performed tomorrow after his son Kunal Sen, who lives in the US, arrives in India.

The family wants to keep the cremation a low key affair, the source added. Sen, who has won multiple national awards, was known for his artistic depiction of social reality.

PTI

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, CHANDIGARH BENCH, AT CHANDIGARH

COMPANY APPLICATION NO. CA (CAA) NO. 27/CHD/HRY/2018

(under Sections 230-232 of the Companies Act, 2013)

IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 2013

AND

IN THE MATTER OF THE SCHEME OF AMALGAMATION AND ARRANGEMENT BETWEEN INDUS TOWERS LIMITED AND BHARTI INFRATEL LIMITED AND THEIR RESPECTIVE SHAREHOLDERS AND CREDITORS

AND

IN THE MATTER OF:

Indus Towers Limited, a company incorporated under the Companies Act, 1956, having its registered office at Building No. 10, Tower - A, 4th Floor, DLF Cyber City, Gurugram - 122002, Haryana.

... Applicant Company 1 / Transferor Company

AND

Bharti Infratel Limited, a company incorporated under the Companies Act, 1956, having its registered office at 901, Park Centra, Sector-30, NH-8, Gurugram, Haryana - 122001.

...Applicant Company 2 / Transferee Company

ADVERTISEMENT OF NOTICE OF THE TRIBUNAL CONVENED MEETING OF THE UNSECURED CREDITORS OF INDUS TOWERS LIMITED AND THE MEETINGS OF THE UNSECURED CREDITORS AND THE EQUITY SHAREHOLDERS OF BHARTI INFRATEL LIMITED

Notice is hereby given that by an order dated December 17, 2018 in Company Application No. CA (CAA) No. 27/Chd/Hry/2018 read with the order dated December 24, 2018 in Company Application No. 624/2018 in Company Application No. CA (CAA) No. 27/Chd/Hry/2018 ("**Orders**"), the Hon'ble Chandigarh Bench of the National Company Law Tribunal at Chandigarh ("**Tribunal**"), has directed a meeting to be held of the unsecured creditors of Indus Towers Limited ("**Transferor Company**") and separate meetings to be held of the unsecured creditors and the equity shareholders of Bharti Infratel Limited ("**Transferee Company**" and together with the Transferor Company, the "**Companies**") for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification(s), the proposed scheme of amalgamation and arrangement ("**Scheme**") between the Transferor Company and the Transferee Company and their respective shareholders and creditors under Sections 230 to 232 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("**Act**").

In pursuance of the Orders and as directed therein, further notice is hereby given that:

(I) a meeting of the unsecured creditors of the Transferor Company will be held at Victoria Hall, The Bristol Hotel, DLF Phase-1, Gurugram - 122002, Haryana, India on Saturday, the 2nd day of February, 2019 at 11:00 A.M., at which time and place, the said unsecured creditors of the Transferor Company are requested to attend.

(ii) a meeting of the unsecured creditors of the Transferee Company will be held at Victoria Hall, The Bristol Hotel, DLF Phase-1, Gurugram - 122002, Haryana, India on Saturday, the 2nd day of February, 2019 at 12:00 Noon, at which time and place, the said unsecured creditors of the Transferee Company are requested to attend.

(iii) a meeting of the equity shareholders of the Transferee Company will be held at Victoria Hall, The Bristol Hotel, DLF Phase-1, Gurugram - 122002, Haryana, India on Saturday, the 2nd day of February, 2019 at 2:30 P.M., at which time and place, the said equity shareholders of the Transferee Company are requested to attend.

Copies of the Scheme and of the relevant explanatory statements under Sections 230(3), 232(1), 232(2) and 102 of the Act read with Rule 6 of the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 ("**Rules**") ("**Explanatory Statements**") can be obtained free of charge on any day (except Saturday, Sunday and public holidays) from the registered office of the Transferor Company at Building No. 10, Tower - A, 4th Floor, DLF Cyber City, Gurugram - 122002, Haryana or from the registered office of the Transferee Company at 901, Park Centra, Sector-30, NH-8, Gurugram, Haryana – 122001, as may be applicable and/ or from the office of their advocates, AZB & Partners at Plot No. A8, Sector 4, Noida - 201301, Uttar Pradesh during business hours.

Persons entitled to attend and vote at the aforementioned meetings, may vote in person or by proxy, provided that all proxies in the prescribed form, duly completed, signed and stamped or authenticated by the person entitled to attend and vote at the relevant meeting, are deposited at the registered office of the Transferor Company or at the registered office of the Transferee Company, as may be applicable, not later than 48 hours before the scheduled time of the relevant meeting. Forms of Proxy can be obtained free of charge on any day (except Saturday, Sunday and public holidays) from the registered office of the Transferor Company or from the registered office of the Transferee Company, as may be applicable and/ or from the office of their advocates as mentioned above during business hours. The Companies are required to furnish a copy of the Scheme within one day of any requisition of the Scheme made by any unsecured creditor or equity shareholder to attend the meetings.

The Tribunal has appointed Mr. Vikas Behl, Senior Advocate, as the chairperson of the meetings, and failing him, Mr. Sidharath Mittal, Advocate, as the alternate chairperson of the meetings, including for any adjournment(s) thereof. The Tribunal has also appointed Mr. Ankush K. Sood, Company Secretary, as the scrutinizer for the meetings, including for any adjournment(s) thereof. The Scheme, if approved at the meetings, will be subject to the subsequent approval of the Tribunal.

Further notice is hereby given to the equity shareholders of the Transferee Company that pursuant to the provisions of: (a) Section 230(4) read with Sections 108 and 110 of the Act; (b) Rule 6 (3)(xi) of the Rules; (c) Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification or re-enactment thereof); (d) Regulation 44 and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015; and (e) Circular No. CFD/DIL3/CIR/2017/21 dated March 10, 2017 issued by the Securities and Exchange Board of India and other relevant laws and regulations, as may be applicable, the Transferee Company has also provided the facility of voting by postal ballot and e-voting so as to enable the equity shareholders, which include public shareholders, of the Transferee Company to consider and approve the Scheme. Accordingly, voting by equity shareholders of the Transferee Company on the proposed resolution shall be carried out through e-voting process, postal ballot and polling paper at the venue of the meeting to be held on Saturday, February 2, 2019 at 2:30 P.M. ("**Shareholders' Meeting**") and in this regard, the equity shareholders of the Transferee Company may note that:

NOTICE

SBI DEBT FUND SERIES

A Close-ended Debt Scheme

f SBI Debt Fund Series C - 37 (365 Days)

BI Debt Fund Series C – 37 (365 Days) ("the Scheme"), a close-ended debt
D) would be open for subscription from opening of business hours on
s hours on January 14, 2019. The investment objective of the Scheme is to
and capital growth with limited interest rate risk to the investors through
of debt instruments such as Government Securities, PSU & Corporate Bonds
uring on or before the maturity of the Scheme. The minimum application
is ₹ 5000/- and in multiples of ₹ 1/- thereafter. The Scheme has two Plans –
ve two options viz. Growth and Dividend. No repurchase / redemption of the
rity of the Scheme and the Scheme would be listed on BSE Limited (BSE) in
formation on the Scheme, you are requested to get in touch with the nearest
utual Fund.

Product Labeling	
tors who are seeking*:	**Riskometer**
nstrument/Govt. Securities	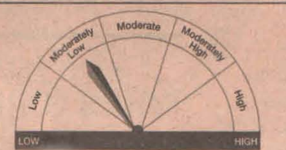 Investors understand that their principal will be at moderately low risk

ial advisers if in doubt about whether the product is suitable for them.

For SBI Funds Management Private Limited

Sd/-

Ashwani Bhatia

Managing Director & CEO

SBI MUTUAL FUND
A PARTNER FOR LIFE

Asset Management Company:
SBI Funds Management Private Limited
etween SBI & AMUNDI) (CIN: U65990MH1992PTC065289)
nd Trustee Company Pvt. Ltd. (CIN: U65991MH2003PTC138496)
Sponsor: State Bank of India
oor, Crescenzo, C – 38 & 39, G Block, Bandra-Kurla Complex,
ai - 400051 • **Tel.:** 91-22-61793000 • **Fax:** 91-22-67425687
artnerforlife@sbimf.com • **Website:** www.sbimf.com

y understood that the permission given by BSE Ltd. should not in any way be
ne Information Document has been cleared or approved by BSE Ltd. nor does
ness of any of the contents of the Scheme Information Document. The investors
nformation Document for the full text of Disclaimer Clause of BSE Ltd.

investments are subject to market risks,
scheme related documents carefully.

SBIMF/2018/DEC/18

Company has also provided the facility of voting by postal ballot and e-voting so as to enable the equity shareholders, which include public shareholders, of the Transferee Company to consider and approve the Scheme. Accordingly, voting by equity shareholders of the Transferee Company on the proposed resolution shall be carried out through e-voting process, postal ballot and polling paper at the venue of the meeting to be held on Saturday, February 2, 2019 at 2:30 P.M. ("**Shareholders' Meeting**") and in this regard, the equity shareholders of the Transferee Company may note that:

(i) The Transferee Company has engaged the services of M/s. Karvy Fintech Private Limited ("**Karvy**") for the purpose of providing e-voting facility to the equity shareholders.

(ii) The notice along with the relevant Explanatory Statement, the Scheme and other enclosures including the form of proxy, the attendance slip and the postal ballot form that form part of the notice (together, the "**Notice**") are available on the Transferee Company's website at www.bharti-infratel.com.

(iii) The Notice, together with the documents accompanying the same, are being sent to all the equity shareholders of the Transferee Company by permitted modes at the last known addresses whose names appear in the chartered accountant's certificate certifying the list of equity shareholders of the Transferee Company as on August 3, 2018 as had been filed with the Tribunal and a person/ entity who is not an equity shareholder on such date should treat the Notice for information purposes only.

(iv) The Notices are being sent through registered post to all those equity shareholders who have not registered their email IDs with the Transferee Company and the Depository Participants and/or electronically by email to those equity shareholders who have registered their email IDs with the Transferee Company and/or the Depository Participants, whose names appear in the register of members/ list of beneficial owners as received from Karvy on Friday, August 3, 2018.

(v) The voting period for postal ballot and e-voting commences on Thursday, January 3, 2019 at 9:00 A.M. and ends on Friday, February 1, 2019 at 5:00 P.M. During this period, the equity shareholders holding equity shares either in physical form or in dematerialized form, as on Friday, August 3, 2018, being the cut-off date, may cast their vote (for or against) electronically or by postal ballot. Once the vote on the resolution is cast by an equity shareholder, such equity shareholder will not be allowed to change it subsequently.

(vi) The equity shareholders may cast their vote on the proposed resolution by way of postal ballot by filling in the requisite details and sending the duly completed and signed postal ballot form in the self addressed postage prepaid business reply envelope to the scrutinizer so as to reach the scrutinizer before 5:00 P.M. on Friday, February 1, 2019. Any postal ballot form received after such period shall be treated as if the reply from the equity shareholder has not been received.

(vii) The vote on postal ballot cannot be exercised through proxy.

(viii) An equity shareholder (including public shareholders) can opt for only one mode of voting, i.e., either by postal ballot or e-voting or voting at the venue of the Shareholders' Meeting. If the equity shareholder opts to vote through any one of the aforesaid modes, then the equity shareholder should not vote by any of the other modes. In case an equity shareholder casts a vote, via both modes i.e. postal ballot as well as e-voting, then voting done through e-voting shall prevail and the postal ballot of that equity shareholder shall be treated as invalid. It is clarified that casting of votes by e-voting or postal ballot does not disentitle an equity shareholder from attending the Shareholders' Meeting. However, any equity shareholder who has voted through e-voting or postal ballot cannot vote at the Shareholders' Meeting. The equity shareholders of the Transferee Company attending the Shareholders' Meeting who have not cast their vote either through postal ballot or e-voting shall be entitled to exercise their vote at the venue of the Shareholders' Meeting.

(ix) The Transferee Company is also providing the voting facility through polling paper for the equity shareholders attending the Shareholders' Meeting who have not cast their vote by postal ballot or e-voting.

(x) The voting rights of an equity shareholder shall be in proportion to such equity shareholder's equity shareholding in the Transferee Company as on Friday, August 3, 2018.

(xi) The results of the votes cast through e-voting process, postal ballot and polling paper at the venue of the Shareholders' Meeting will be announced on or before Monday, February 4, 2019 at the registered office of the Transferee Company. The results along with the report of the scrutinizer shall be displayed at the registered office of the Transferee Company situated at 901, Park Centra, Sector-30, NH-8, Gurugram, Haryana - 122001 and its website at www.bharti-infratel.com as well as Karvy's website at https//evoting.karvy.com, besides being communicated to the stock exchanges where the equity shares of the Transferee Company are listed, namely, the National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited.

(xii) The equity shareholders who have received the Notice by e-mail and who wish to vote through postal ballot form can download the postal ballot form from the Transferee Company's website at www.bharti-infratel.com or seek a duplicate postal ballot form from the Transferee Company. The equity shareholders who have not received the postal ballot form may apply to the Transferee Company and obtain a duplicate copy.

(xiii) In case of any query and/ or grievance, pertaining to e-voting, please visit Help & FAQ's section available at Karvy's website https://evoting.karvy.com or contact G. Ramesh of Karvy Computershare Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot number 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500032 at evoting@Karvy.com or phone number 040-67161522 or call Karvy's toll free No. 1-800-34-54-001.

Dated this 31st day of December, 2018
Place: Gurugram (Gurgaon)

For Bharti Infratel Limited	**For Indus Towers Limited**
Sd/-	**Sd/-**
Samridhi Rodhe	**Rajinder Kumar**
(Company Secretary & Authorized Signatory)	**(Chief of Legal, Company Secretary & Authorized Signatory)**

Business Standard (E) Delhi 31/12/18

पबेल ने अपनी स्पीडबोट 444.71
की रफ्तार से दौड़ाकर रिकॉर्ड बनाया।

बिजनेस

31/12/2018 Hindustan (Hindi), Delhi

ा विकल्प जरूर जानें

उत्पादों की तुलना करें

पॉलिसीबाजार के साधारण बीमा के मुख्य कारोबारी अधिकारी तरुण माथुर का कहना है कि दुर्घटना कवर अनिवार्य न होने के बाद कंपनियां प्रीमियम बढ़ा सकती हैं। ऐसे में कंपनियों के उत्पादों की तुलना करें।

इन बातों की चिंता नहीं

- 1000 सीसी से कम वाहनों का बीमा प्रीमियम घटेगा
- थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम बढ़ने से नो क्लेम बोनस पर असर नहीं होगा
- नए निर्णयों से वाहन के बीमित मूल्य में भी कमी या वृद्धि नहीं होगी

वॉयस असिस्टेंट की मदद भी लें

बैंकिंग और बीमा कंपनियों ने अपने ग्राहकों को चैटबोट या वॉयस असिस्टेंट जैसे एलेक्सा की सौगात भी दी है। अवीवा लाइफ इंश्योरेंस की चीफ कस्टमर, मार्केटिंग और डिजिटल ऑफिसर अंजलि मल्होत्रा ने कहा कि बीमा कंपनियां एलेक्सा जैसी वॉयस असिस्टेंट सेवा अपने ग्राहकों को मुहैया करा रही है। एलेक्सा से किसी भी बीमा या बैंकिंग उत्पादों की विस्तृत जानकारी ली जा सकती है। इसके अलावा बीमा विशेषज्ञों की मदद लेने से भी नहीं हिचकें।

एयर इंडिया की हालत सुधारने के लिए पेशेवरों से मदद

नई दिल्ली। सरकार एयर इंडिया की हालत सुधारने के लिए दुनियाभर से खोजे गये पेशवरों की तैनाती की योजना बना रही है। इसके लिये वैश्विक स्तर पर खोज की प्रक्रिया चलाई जाएगी। इसके लिए सरकार की एक खोज समिति बनाने की योजना है। नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने यह जानकारी दी।

इलेक्ट्रिक वाहनों को अगले साल बढ़ावा देंगे: नीति आयोग

नई दिल्ली | एजेंसी

नए साल में नीति आयोग का जोर इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने, सरकार के सुधार कार्यक्रमों को तेजी से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और आर्थिक वृद्धि को गति देने पर होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने यह बात कही।

उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है कि इलेक्ट्रिक वाहन, ऊर्जा क्षेत्र में आयात निर्भरता कम करने तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिये कुछ और नीतिगत सुधारों की घोषणा की जा सकती है। देश की आर्थिक वृद्धि दर अगले साल करीब 7.8% रहेगी। इसमें आने वाले समय में और मजबूती आएगी। हमें कुछ और निजी निवेश देखने को मिलेंगे। मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि नकदी की समस्या से जूझ रहे गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र का भी मसला दूर होगा और तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई के अंतर्गत आने वाले बैंकों की कर्ज देने की क्षमता बढ़ेगी। इन चीजों से निवेश चक्र मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कई सुधारों को आगे बढ़ाया है और उच्च वृद्धि तथा निम्न मुद्रास्फीति की नींव तैयार की है। अब समय उसके क्रियान्वयन पर जोर देने का है। उन्होंने कहा, पहली बार हम कम महंगाई दर के साथ 7.5% वृद्धि दर हासिल कर रहे हैं। यह मजबूत वृहद आर्थिक बुनियाद को बताता है। यह 2022-23 तक 9% आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने का आधार है।

कर दायरा बढ़ाने पर का ध्यानः राजस्व सचिव

सरकार सकल घरेलू उत्पाद में कर राजस्व की हिस्सेदारी बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। इसके लिए वह कर अनुपालन को बेहतर बनाने और उन क्षेत्रों की पहचान कर रही है जो कर दायरे से बाहर हैं। राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि जीएसटी अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ईमानदारी से कर चुकाने वाले करदाताओं को परेशान नहीं किया जाये और जो रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं उन्हें कर दायरे में लाया जाएगा। चार वर्षों में देश का जीडीपी कर अनुपात 10% से बढ़कर 11.5 प्रतिशत पर पहुंच गया। पांडे ने कहा कि रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या बढ़कर 6 करोड़ से अधिक हो गई है।

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण चण्डीगढ़ पीठ, चण्डीगढ़ के समक्ष

कम्पनी आवेदन सं. सीए(सीएए) नं. 27/सीएचडी/एचआरवाई/2018
(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के अन्तर्गत)
कम्पनी अधिनियम 2013 के मामले में

तथा

इण्डस टॉवर्स लिमिटेड एवं भारती इन्फ्राटेल लिमिटेड तथा उससे संबंधित शेयरधारकों तथा लेनदारों के बीच व्यवस्था की योजना के मामले में

तथा

इन्डस टावर्स लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय भवन न. 10 टावर-ए, चतुर्थ तल, डीएलएफ साइबर सिटी, गुरूग्राम-122002, हरियाणा

..........आवेदक कंपनी 1/अंतरक कंपनी

तथा

भारती इन्फ्राटेल लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 901, पार्क सेन्ट्रा, सेक्टर-30, एनएच-8, गुरूग्राम, हरियाणा-122001

..........आवेदक कंपनी 2/अंतरिति कंपनी

इण्डस टावर्स लिमिटेड के अप्रतिभूत लेनदारों तथा भारती इंफ्राटेल लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों तथा अप्रतिभूत लेनदारों के आयोजन हेतु अधिकरण की बैठक की सूचना का विज्ञापन

एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि आदेश तिथि 17 दिसम्बर, 2018 के कंपनी आवेदन सं. सीए(सीएए) नं. 27/सीएचडी/एचआरवाई/2018, 24 दिसम्बर, 2018 के आदेश के साथ पढ़ा गया (सामूहिक रूप से "आदेश") के द्वारा चण्डीगढ़ में राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण ("अधिकरण") की माननीय चंडीगढ़ पीठ ने निर्देश दिया है कि इण्डस टॉवर्स लिमिटेड ("अंतरक कंपनी") के अप्रतिभूत लेनदारों तथा भारती इन्फ्राटेल लिमिटेड ("अंतरिति कम्पनी") के इक्विटी शेयरधारकों तथा अप्रतिभूत लेनदारों की अलग-अलग बैठक आयोजित की जाये जिसमें कंपनी अधिनियम 2013 की धाराएं 230 से 232 के अंतर्गत अंतरक कम्पनी तथा अंतरिति कम्पनी तथा उनके संबंधित शेयरधारकों तथा लेनदारों के बीच समझौते की प्रस्तावित योजना ("योजना") पर विचार किया जाये तथा यदि उपयुक्त पाया गया, संशोधन-सहित या उसके बिना उसे स्वीकार किया जाये।

उक्त आदेश तथा उसमें दिये गये निर्देशों के अनुपालन में एतत्द्वारा सूचित किया जाता है कि :-

(1) अंतरक कंपनी के अप्रतिभूत लेनदारों की एक बैठक विकटोरिया हाल, ब्रिसटल होटल, डीएलएफ फेज-1, गुरूग्राम-122002, हरियाणा, भारत में शनिवार 2 फरवरी, 2019 को पूर्वान्ह 11.00 बजे एक बैठक आयोजित की जायेगी जिसमें अंतरक कंपनी के उक्त अप्रतिभूत लेनदारों से अनुरोध है कि उस स्थान, दिन, तिथि एवं समय पर उसमें उपस्थित हों।

(2) अंतरिति कंपनी के अप्रतिभूत लेनदारों की एक बैठक विकटोरिया हाल, ब्रिसटल होटल, डीएलएफ फेज-1, गुरूग्राम-122002, हरियाणा, भारत में शनिवार 2 फरवरी, 2019 को मध्यान्ह 12.00 बजे एक बैठक आयोजित की जायेगी जिसमें अंतरक कंपनी के उक्त अप्रतिभूत लेनदारों से अनुरोध है कि उस स्थान, दिन, तिथि एवं समय पर उसमें उपस्थित हों।

(3) अंतरिति कंपनी के अप्रतिभूत लेनदारों की एक बैठक विकटोरिया हाल, ब्रिसटल होटल, डीएलएफ फेज-1, गुरूग्राम-122002, हरियाणा, भारत में शनिवार 2 फरवरी, 2019 को अपरान्ह 02.30 बजे एक बैठक आयोजित की जायेगी जिसमें अंतरक कंपनी के उक्त अप्रतिभूत लेनदारों से अनुरोध है कि उस स्थान, दिन, तिथि एवं समय पर उसमें उपस्थित हों।

उक्त योजना तथा कंपनी (समझौता, व्यवस्था तथा समामेलन) नियमावली, 2016 ("नियम") के नियम 6(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 (3), 232 (1), 232 (2) एवं 102 के अंतर्गत व्याख्यात्मक विवरण की प्रतियां अंतरक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय भवन न. 10 टावर-ए, चतुर्थ तल, डीएलएफ साइबर सिटी, गुरूग्राम-122002, हरियाणा तथा अंतरिति कंपनी के पजींकृत कार्यालय 901, पार्क सेन्ट्रा, सेक्टर-30, एनएच-8, गुरूग्राम, हरियाणा-122001 अथवा इनके अधिवक्तागण ए जेड बी एण्ड पार्टनर्स के प्लॉट नं0 ए-8, सेक्टर-4, नोयडा-201301, उत्तर प्रदेश में स्थित कार्यालय से किसी भी दिन (शनिवार, रविवार तथा सार्वजनिक अवकाश दिवसों को छोड़कर) निःशुल्क प्राप्त की जा सकती हैं।

बैठक में उपस्थित होने तथा मतदान करने के लिए अधिकृत सदस्य व्यक्तिगत् या प्रॉक्सी द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं, बशर्ते संबधित व्यक्ति द्वारा विधिवत् पूर्ण हस्ताक्षरित अथवा सत्यापित निर्धारित प्रपत्र में सभी प्रॉक्सी अंतरक कम्पनी या अंतरिति कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक के निर्धारित समय से कम-से-कम 48 घंटे पूर्व जमा की जाये। प्रॉक्सी का प्रपत्र जैसा कि लागू हो अंतरक कम्पनी या अंतरिति कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय एवं / अथवा अधिवक्तागण के कार्यालय में किसी भी दिन (शनिवार, रविवार तथा सार्वजनिक अवकाश दिवसों को छोड़कर) निःशुल्क प्राप्त की जा सकती हैं।

माननीय अधिकरण ने बैठक एवं उसके किसी स्थगन (नों) के लिए, अध्यक्ष के रूप में श्री विकास बहल, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा उनकी विफलता के एवज़ मे श्री सिद्धार्थ मित्तल वैकल्पिक अध्यक्ष के रूप में बैठक का अधिवक्ता नियुक्त किया है। साथ ही, अधिकरण ने बैठक एवं उसके किसी स्थगन(नों) के लिए, पर्यवेक्षक के रूप में श्री अंकुश के. सूद , कम्पनी सचिव को नियुक्त किया है। योज़ना यदि बैठक में स्वीकृत होती है, माननीय अधिकरण की परवर्ती स्वीकृति के अधीन होगी।

पुनः एततद्वारा अंतरिति कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों को सूचित किया जाता है :- (क) अधिनियम की धारा 230(4) के साथ पठित 108 एवं 110 (ख) नियम 6(3)(XI) (ग) कंपनी (प्रबन्ध एवं प्रशासन) नियमावली 2014 की नियम 20 एवं 22 (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः निर्धारण सहित) (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ...

00 करोड़ का फंसा कर्ज वसूला

वित्तीय स्थिति में सुधार के संकेत

00 करोड़ का फंसा कर्ज वसूला

वित्तीय स्थिति में सुधार के संकेत

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में फंसे कर्ज के एवज में की गई प्रावधान राशि का अनुपात (पीसीआर) सितंबर 2018 में बढ़कर 66.85 प्रतिशत पर पहुंच गया जो कि 2015 में 50 प्रतिशत से भी कम था। एक अधिकारी ने कहा कि यह बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार को दर्शाता है।

फंसे कर्ज की वसूली की है। रिजर्व बैंक की बैंकों की 2017-18 में प्रवृत्ति तथा प्रगति शीर्षक से जारी सालाना रिपोर्ट के अनुसार बैंकों ने वर्ष 2017-18 में आईबीसी के जरिये 4,900 करोड़ रुपये की वसूली की जबकि सरफेसी कानून के माध्यम से 26,500 करोड़ रुपये वसूले। इसमें कहा गया है, बैंकों ने फंसे कर्ज की वसूली के लिए अपने प्रयास तेज किये हैं। इसके अलावा सरफेइसी कानून में संशोधन किया गया। इसमें प्रावधान किया गया कि कर्ज लेनदार यदि अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देता है तो उसे तीन महीने की सजा हो सकती है। दूसरी तरफ कर्ज देने वाले को गिरवी रखी गई संपत्ति का 30 दिन के भीतर अपने कब्जे में लेने का अधिकार दिया गया।

नियों का
्करण बढ़ा

उछाल

- सर्वाधिक लाभ वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज रही
- टीसीएस एकमात्र कपंनी जिसके बाजार पूंजीकरण में गिरावट आई

रुपये बढ़कर 3,40,435.54 करोड़ रुपये और आईटीसी की हैसियत 6,813.8 करोड़ बढ़कर 3,45,301.80 करोड़ रुपये हो गई। इंफोसिस का एम-कैप बढ़त के साथ 2,87,282.29 करोड़ और आईसीआईसीआई बैंक का एम-कैप बढ़कर 2,32,537.20 करोड़ रहा।

रीयल एस्टेट क्षेत्र में निवेश दोगुना हुआ

नई दिल्ली। रीयल एस्टेट क्षेत्र में संस्थागत निवेश 2014-18 के दौरान दोगुना होकर 20 अरब डॉलर तक पहुंच गया। रीयल एस्टेट क्षेत्र में नियामक जैसे कानून और एफडीआई नियमों में ढील इसकी वजह रही। संपत्ति से जुड़ी परामर्श देने वाली फर्म जेएलएल इंडिया ने यह आंकड़ा प्रस्तुत किया है।

जेएलएल इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और कंट्री प्रमुख रमेश नायर ने कहा, 2009 से 2013 का पहला चरण संस्थागत निवेश के लिहाज से धीमा रहा जबकि 2014 से 2018 के दौरान संस्थागत निवेश में तेजी दर्ज की गई। 2009-18 के दौरान रीयल एस्टेट क्षेत्र ने 30 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित कियां। **(एजेंसी)**

ान आसान बनाने के लिए समाधान खोज रहा है

ोन से पहचान सकेंगे नोट

80 लाख नेत्रहीन लोगों को आरबीआई के इस नई पहल से मिल सकता है फायदा, 2018 में आरबीआई ने नेत्रहीन लोगों को नोट पहचाने में सहूलियत देने की घोषणा की थी

नोट पहचानने के लिए अलग छपाई

वर्तमान में, नेत्रहीनों को नोट पहचानने के लिए 100 रुपये और उससे ऊपर के नोटों की छपाई इस रूप से उभरते रूप (इंटैग्लियो प्रिंटिंग) में होती है जिससे वे स्पर्श कर उसे पहचान सके। देश में 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 रुपये के नोट चलन में हैं।

पहचानने में हो रही है समस्या

नोटबंदी के बाद नए नोटों के आने के बाद नेत्रहीन लोगों की ओर से यह लगातार शिकायत आ रही थी कि उनको 2000 रुपये और 500 रुपये केनोट पहचानने में समस्या हो रही है। माना जा रहा है कि इसका हल निकालने की तैयारी है।

के रूप में बैठक का अधिवक्ता नियुक्त किया है। साथ ही, अधिकरण ने बैठक एवं उसके किसी स्थगन(नों) के लिए, पर्यवेक्षक के रूप में श्री अंकुश के. सूद, कम्पनी सचिव को नियुक्त किया है। योजना यदि बैठक में स्वीकृत होती है, माननीय अधिकरण की परवर्ती स्वीकृति के अधीन होगी।

पुनः एतत्द्वारा अंतरिति कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों को सूचित किया जाता है :- (क) अधिनियम की धारा 230(4) के साथ पठित 108 एवं 110 (ख) नियम 6(3)(XI) (ग) कंपनी (प्रबन्ध एवं प्रशासन) नियमावली 2014 की नियम 20 एवं 22 (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः निर्धारण सहित) (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचनीय दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 तथा अधिनियम लागू होने वाले प्रावधानों (ड़) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र सं. सीएफडी/डीआईएल3/सीआईआर/2017/21 दिनांक 10 मार्च, 2017 एवं अन्य सम्बन्धित विधि एवं अधिनियम, और जो भी लागू हो के अनुपालन में अंतरिति कम्पनी ने सूचना में निर्दिष्ट प्रस्तावों पर अपना मतदान (पक्ष एवं विपक्ष में) करने के लिए **(इक्विटी शेयरधारकों की एक बैठक)** शनिवार 2 फरवरी, 2019 को अपरान्ह 2.30 बजे पोस्टल बैलट एवं ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करायी है। तदनुसार, इक्विटी शेयरधारक पोस्टल बैलट प्रपत्र अथवा इलैक्ट्रानिक रूप से (अर्थात् ई-वोटिंग) द्वारा मतदान कर सकते हैं तथा इस संदर्भ में इक्विटी शेयरधारक ध्यान रखें कि :

(i) अपने सभी इक्विटी शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अंतरिति कम्पनी ने मै. कार्वी फिनटेक प्रा. लिमिटेड ("कार्वी") की सेवाएं प्राप्त की हैं।

(ii) परोक्षी प्रपत्र, उपस्थिति परची तथा डाकीय मतपत्र जो अधिसूचना का अंश है (समेत, अधिसूचना) सहित व्याख्यायित वक्तव्य, योजना व अन्य अनुलग्नकों के साथ सभा से संबंधित अधिसूचना अंतरिति कम्पनी की वैबसाइट www.bharti-infratel.com पर उपलब्ध है।

(iii) अंतरिति कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों को सम्बन्धी प्रपत्रों सहित सूचना जो चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा प्रदर्शित नाम एवं पतें दिये गये थे उसमें अंतिम ज्ञात पते पर अंतरिति कम्पनी द्वारा 3 अगस्त, 2018 को भेजी जा चुकी है। प्राधिकरण एवं व्यक्तिगत तथा इक्विटी शेयरधारकों के लिए यह सूचना के रूप में है।

(iv) अंतरिति कम्पनी ने उन सभी शेयरधारकों को जिन्होंने अंतरिति कम्पनी व डिपॉजिटरी पार्टीसिपेंट के यहाँ अपना ई-मेल परिचयक पंजीकृत नहीं कराया है, अधिसूचना पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित कर दी है तथा उन सभी शेयरधारकों को जिन्होंने अपना ई-मेल परिचयक अंतरिति कम्पनी और/या डिपॉजिटरी पार्टीसिपेंट के यहाँ पंजीकृत करा रखा है, जिनके नाम कार्वी की ओर से शुक्रवार, अगस्त 3, 2018 को प्राप्त सदस्य/लाभार्थी स्वामी की सूची में अंकित हैं, को अधिसूचना इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित कर दी है।

(v) पोस्टल बैलेट तथा ई-वोटिंग के लिए वोटिंग अवधि वृहस्पतिवार, 3 जनवरी, 2019 को 9:00 बजे पूर्वा. में शुरू होगी तथा शुक्रवार, 1 फरवरी, 2019 को 5:00 बजे सायं में बंद होगी। इस अवधि के दौरान-शुक्रवार, 3 अगस्त, 2018, जो कि कट ऑफ तिथि है, को भौतिक पद्धति या डिमैटिरियालाईज्ड पद्धति में इक्विटी शेयर धारित करने वाले इक्विटी शेयरधारक इलैक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान (पक्ष या विपक्ष में) कर सकते हैं।

(vi) वांछित विवरणों को भरकर तथा अधिकतम शुक्रवार, 1 फरवरी, 2019 को 5:00 बजे सायं तक पर्यवेक्षक के पास व्यापारिक जवाबी लिफाफा में विधिवत् पूर्ण तथा हस्ताक्षरित पोस्टल बैलेट प्रपत्र भेजकर इक्विटी शेयरधारक पोस्टल बैलेट द्वारा प्रस्तावित प्रस्तावों पर अपना मतदान कर सकते हैं। उस अवधि के बाद प्राप्त किसी भी पोस्टल बैलेट प्रपत्रों के संदर्भ में यह माना जायेगा कि संबंधित इक्विटी शेयरधारकों से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

(vii) पोस्टल बैलेट पर मतदान प्राक्सी द्वारा नहीं किया जा सकेगा।

(viii) कोई भी इक्विटी शेयरधारक भौतिक पद्धति या पोस्टल बैलेट या ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर सकते हैं। यदि इक्विटी शेयरधारक उपरोक्त किसी एक पद्धति द्वारा मतदान करने का चयन करते हैं तो इक्विटी शेयरधारक किसी भी अन्य पद्धति से मतदान नहीं कर सकते हैं। यदि कोई इक्विटी शेयरधारक दोनों पद्धतियों अर्थात् पोस्टल बैलेट के साथ ई-वोटिंग द्वारा मतदान करते हैं तो ई-वोटिंग द्वारा किया मतदान लागू रहेगा तथा उस इक्विटी शेयरधारक का पोस्टल बैलेट अवैध माना जायेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि ई-वोटिंग या पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान कर देने के बावजूद इक्विटी शेयरधारक बैठक में शामिल हो सकते हैं। लेकिन कोई भी इक्विटी शेयरधारक जिन्होंने ई-वोटिंग या पोस्टल बैलेट द्वारा मंतदान किया हो वह बैठक में फिर से मतदान नहीं कर सकते हैं।

(ix) अंतरिति कंपनी ऐसे इक्विटी शेयरधारकों को बैठक में मत-पत्र द्वारा मतदान की सुविधा भी उपलब्ध करा रही है जिन्होंने पोस्टल बैलेट या ई-वोटिंग द्वारा मतदान नहीं किया हो।

(x) ई-वोटिंग तथा पोस्टल बैलेट के लिए मताधिकार की गणना शुक्रवार, 3 अगस्त, 2018 को इक्विटी शेयरधारक के नाम में पंजीकृत इक्विटी शेयरों की प्रदत्त मूल्यों के आधार पर की जायेगी तथा जो व्यक्ति उस तिथि को शेयरधारक नहीं है, वो केवल जानकारी के लिए इस सूचना को देखें।

(xi) सूचना में निर्दिष्ट प्रस्तावों पर मतदान के परिणामों की घोषणा सोमवार, 4 फरवरी, 2019 को या उससे पूर्व की जायेगी। पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के साथ मतदान के परिणामों को अंतरिति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 901, पार्क सेन्ट्रा, सेक्टर 30, एनएच-8, गुरूग्राम, हरियाणा-122001 तथा उसकी वेबसाइट (www.bharti-infratel.com) साथ ही साथ कार्वी की वेबसाइट (https://evoting.karvy.com) पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त अंतरिति कंपनी जहां सूचीबद्ध है उन स्टॉक एक्सचेजों जैसे बीएसई तथा एनएसई में अग्रसारित किया जायेगा।

(xii) जिन इक्विटी शेयरधारकों को ई-मेल द्वारा सूचना प्राप्त हो गई है और पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान करना चाहते हैं वह पोस्टल बैलेट प्रपत्र अंतरिति कंपनी की वेबसाइट www.bharti-infratel.com से डाउनलोड कर सकते हैं या डुप्लीकेट प्रपत्र अंतरिति कंपनी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन इक्विटी शेयरधारकों को पोस्टल बैलेट प्रपत्र प्राप्त नहीं हुआ हो तथा जो डुप्लीकेट प्रपत्र प्राप्त करना चाहते हों, वे अंतरिति कंपनी पर आवेदन कर सकते हैं।

(xiii) इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग सहित मतदान से संबंधित किसी भी पूछताछ/समस्याओं के लिए सदस्य कार्वी की वेबसाइट https://evoting.karvy.com में उपलब्ध एफएक्यू सैक्शन देखें अथवा 040-67161522 पर e-voting@karvy.com पर कार्वी के श्री जी. रमेश देसाई से या 18003454001 (टोल फ्री) पर संपर्क करें।

दिनांक: 31 दिसम्बर, 2018
स्थान: गुरूग्राम (गुड़गाँव)

भारती इंफ्राटेल लिमिटेड के लिए	इण्डस टॉवर्स लिमिटेड के लिए
ह/-	ह/-
समृद्धि रोढ़े	राजेन्द्रा कुमार
(कंपनी सचिव एवं प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)	(विधि प्रमुख, कंपनी सचिव एवं प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

Hindustan (Hindi), Delhi 31/12/18